

16 05
24

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता
अनुउपास्थित रही पत्रावली के अनवान अनुसार
उबार आवजे लगाई जाने के बावजूद वादी
अनुउपास्थित रहा है। अतः पत्रावली अदम
हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
पत्रावली के सलसुमार होकर नम्बर से कम है।



3
सहायक कलक्टर एवं पर्देन
उपखण्ड अधिकारी, बाली